न्यायालय

बनाम

मुकदमा नं.

125/5

पत्रावली देखी। अधि. प्रार्थी द्वारा/अप्रार्थी
सं. 1 व 4 की तरफ से लिखित विधिवत हो चुकी है,
बावजूद लिखित हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थी
सं. 1 व 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाती है। वादग्रस्त अधि. एकपक्षीय सुनी
गई। वादग्रस्त भूमि पर मौका किया गया एवं पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। विवादित भूमि में प्रार्थी के हितानुबंध है
तथा दौरान वाद विवादित भूमि के मौके की
स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित
प्रभावित हो सकते है। अतः अप्रार्थीगण को
दौरान वाद विवादित भूमि के मौके की स्थिति
में परिवर्तन नहीं करने बाबत पाबन्द किया जाना
न्यायोचित है। अतः वाद प्रार्थना-पत्र प्रार्थी
के स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण
को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है
कि वे विवादित भूमि ख.नं. 2249 रकबा 3.5760
हैक्टेयर ग्राम प्रोहित का बास, तहसील व
जिला सीकर के भूमि पर लगाये वाद
विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये
रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
सेक्शन हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज
मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)